

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- अशोक सांगवा, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :- 57/2009

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल पुत्र श्री बादरराम उर्फ बहादुर		1. चेनाराम पुत्र श्री मांगीलाल
2. बीजाराम पुत्र श्री बादरराम उर्फ बहादुर जातियान राईका निवासी होलपुर खुर्द, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		2. किशनाराम पुत्र श्री मांगीलाल
		3. माडीदेवी पुत्री श्री मांगीलाल
		4. गवरीदेवी पुत्री श्री मांगीलाल जातियान राईका निवासी होलपुर खुर्द, तहसील बिलाड़ा
		5. कंवराराम पुत्र श्री रामाराम
		6. श्रीमति मीरादेवी पत्नी कंवराराम जातियान विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
		7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 10.01.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज दिलायी गयी वादीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार आवाजे दिलायी गयी वादीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः वादीगण का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा